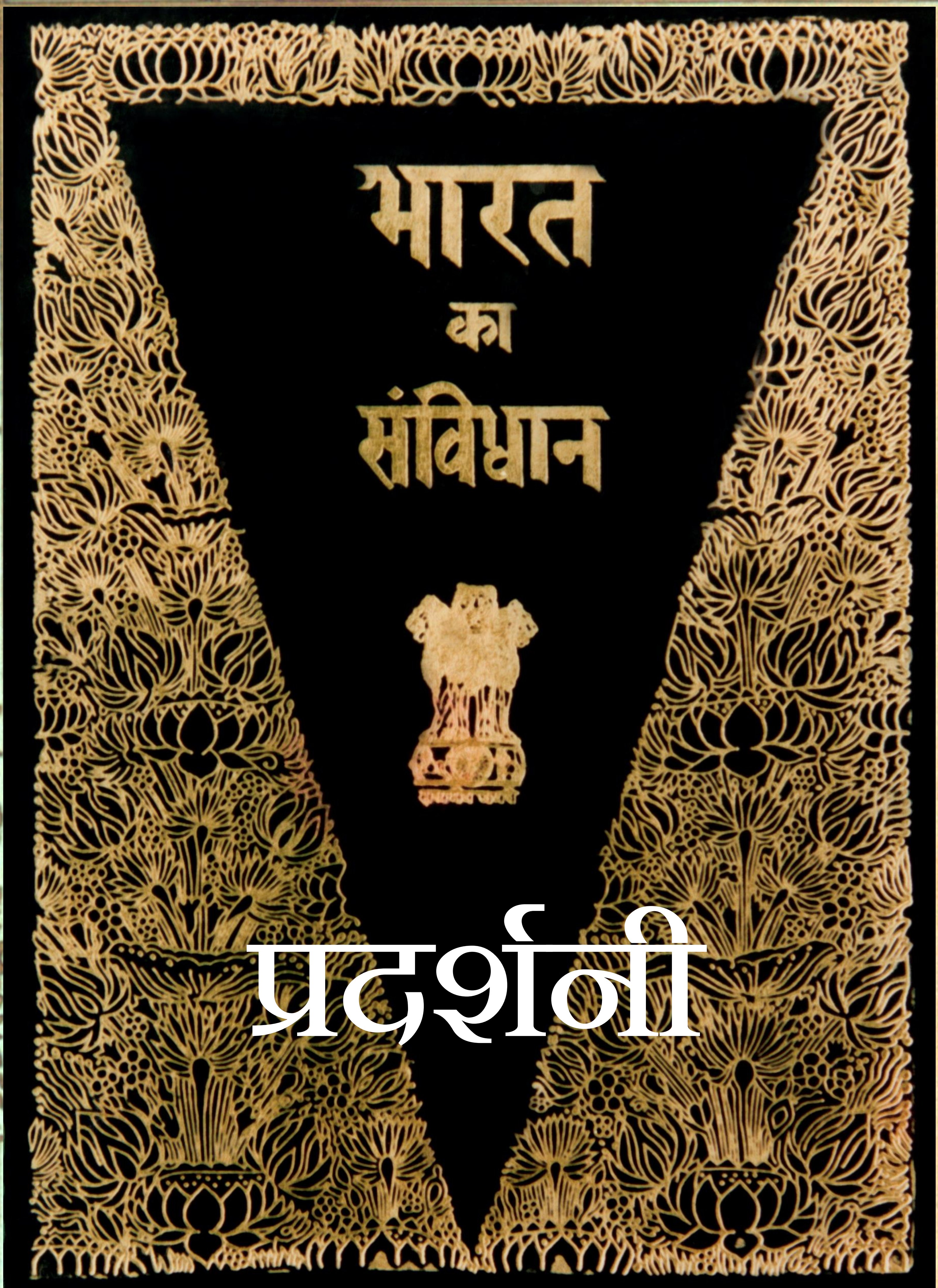

प्रदर्शनी

संविधान सभा

गठन : कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन।

सदस्य संख्या: कुल 389 (292 ब्रिटिश प्रान्त से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, 93 देशी रियासतों से)
देश विभाजन के पश्चात कुल सदस्य 299
अनुसूचित जनजाति की संख्या 33
महिलाओं की संख्या 12।

- 9 दिसम्बर 1946, अस्थाई अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
- 11 दिसम्बर 1946, स्थाई अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद चुने गये।
- संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 से प्रारंभ।
- 22 दिसम्बर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत।

- ❖ 29 अगस्त 1947 को डॉ.अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन।
- ❖ 26 नवम्बर 1949 को संविधान को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा पारित।
- ❖ संविधान निर्माण में कुल 2वर्ष, 11माह, 18 दिन लगे।
- ❖ इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कुल 25 भाग, 400 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं।
- ❖ संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे।
- ❖ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया।
- ❖ संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- ❖ संविधान के हस्त लेखक - श्री बसंत कृष्ण वैद्य (हिंदी में), श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (अंग्रेजी में)।
- ❖ संविधान में अंकित चित्रों के निर्माता - नन्दलाल बोस एवं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में शान्तिनिकेतन, विश्वभारती (कोलकाता) के चित्रकार।
- ❖ संविधान में कुल 28 चित्रों का उपयोग किया गया है।
- ❖ चित्र शब्दों की अपेक्षा भावनाओं को प्रकट करने में अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए तत्कालीन नीति निर्माताओं ने इसमें चित्रों को अंकित करने के लिए कहा।

भारतीय संविधान की विशेषताएं

- ✓ विशालतम लिखित संविधान
- ✓ लचीला एवं कठोर का समन्वय (संशोधन की सरलता एवं कठिनाई के आधार पर)
- ✓ सरकार का संसदीय स्वरूप
- ✓ संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
- ✓ एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
- ✓ नागरिकों को मिले हुये मौलिक अधिकार
- ✓ राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- ✓ मौलिक कर्तव्य
- ✓ पंथ निरपेक्षता
- ✓ एकल नागरिकता
- ✓ वयस्क मताधिकार
- ✓ आपातकालीन प्रावधान

अशोक चिन्ह - भारत का राष्ट्रीय चिन्ह

- ❖ आवरण पृष्ठ पर अंकित।
- ❖ चारों दिशाओं में देखने वाले चार सिंहों की मुखाकृति, आधारशिला पर 24 तीलिओं से युक्त 4 चक्र, इन धर्म चक्रों के बीच दौड़ता घोड़ा, चलने को तत्पर नंदी, अपने बल को दर्शाता हाथी तथा सतर्कता से खड़ा हुआ सिंह है।
- ❖ चिन्ह में मुण्डकोपनिषद के श्लोक "सत्यमेव जयते नाद्रिंतमसत्येनापंथा वितोदेवयाना (3/1/6)" के 'सत्यमेव जयते' को बोध वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

भाव - पराक्रम, गतिशीलता, सावधानी एवं त्याग के समन्वय तथा सत्य की विजय के साथ भारत के परम वैभव को पुन: प्राप्त करना।

संविधान की उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखण्डता
सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

नोट - समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं थे इन्हें आपातकाल के समय 42वें संविधान संसोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया।

भाग - 1

(अनुच्छेद 1 - 4)

मोहनजोदड़ों का प्रतीक चिन्ह

विषय : संघ और उसका राज्य क्षेत्र

- मोहनजोदड़ों 2500 ईस्वी पूर्व भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी।
- मोहनजोदड़ों में शक्ति संपन्नता एवं कर्मठता का प्रतीक महादेव शिव के वाहन नंदी को मोहर के रूप में स्वीकार किया गया था।
- इस भाग में बताया गया है कि भारत क्या है तथा भारत के राज्यों की जानकारी दी गई है।

भाव - भारत नवनिर्मित देश नहीं है, यह तो चिर पुरातन है तथा भारत की सांस्कृतिक अखंडता को सदैव याद रखा जाए।

भाग - 2
(अनुच्छेद 5 - 11)

वैदिक काल का गुरुकुल

विषय : नागरिकता

- एक आदर्श गुरुकुल।
- योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए रख सकता है।
- योग्य नागरिक बनने के लिए सर्वप्रथम योग्य शिक्षा एवं योग्य संस्कार पाना आवश्यक है।

भाव - भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था अपनी परखी हुई प्रणाली के द्वारा ही परिचालित करनी चाहिए। मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ही देश निर्माण में सहायक होगी।

भाग - 3

(अनुच्छेद 12 - 35)

पुष्पक विमान से श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या गमन

विषय : मौलिक अधिकार

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, वर्तमान यह संख्या 6 है (सम्पति के अधिकार को हटा दिया गया)।

- ❖ समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)।
- ❖ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)।
- ❖ शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)।
- ❖ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)।
- ❖ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)।
- ❖ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

सरकार का कर्तव्य है की नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

भाव - राम राज्य की पुनः प्रतिष्ठा की कामना।

भाग - 4

(अनुच्छेद 36 - 51)

श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश

विषय : राज्य नीति के निदेशक तत्व

- इस भाग में राज्य के द्वारा करणीय कार्यों का निदेशन है।
- समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, पंचायतों का गठन, गौ वंश सरंक्षण एवं संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि प्रमुख प्रावधान हैं।

भाव - जहां कृष्ण जैसा नीति निर्धारक उपस्थित हो और जहां उसका पालन करने वाला पार्थ जैसा निपुण योद्धा उपस्थित हो वहाँ विजय सुनिश्चित है।

भाग - 5
(अनुच्छेद 52 - 151)

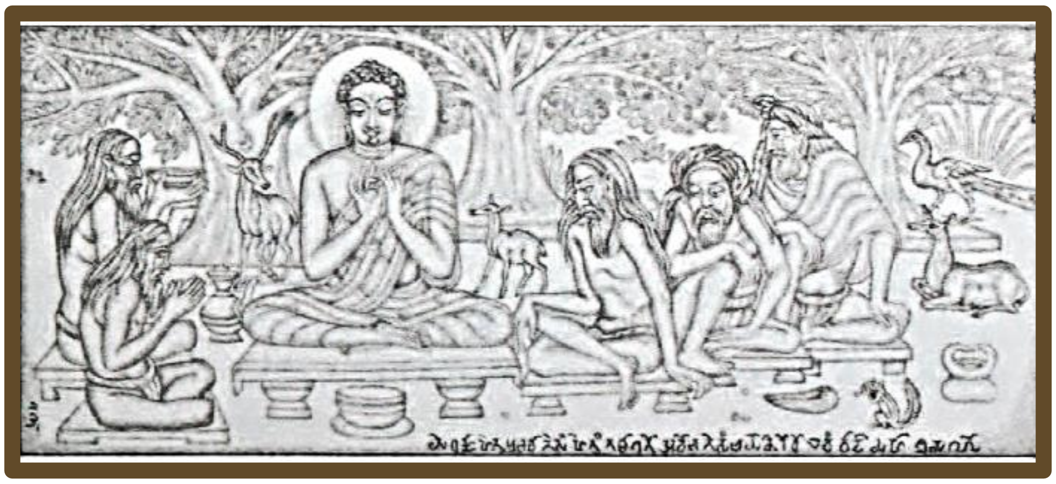

सिद्धार्थ के वैराग्य से गौतम बुद्ध के देशाटन तक

विषय : संघ

- ❖ इसमें संघीय कार्यपालिका, विधायिका तथा सर्वोच्च न्यायलय के सम्बन्ध में प्रावधान हैं।
- ❖ उपरोक्त विषय में शांत-एकाग्र मन, गहन चिन्तन तथा सर्वोच्च समझ के साथ समाज के प्रति संवेदना व समरस भाव का होना आवश्यक है।

भाव - समरस होकर एकाग्र मन से गौतम बुद्ध का संदेश सुनने वाले ज्ञान पिपासु अनुयायी ही समुचित नीति-निर्धारण कर उसका पालन करने तथा न्याय करने में सक्षम होंगे।

भाग - 6
(अनुच्छेद 152 - 237)

महावीर द्वारा जैन मत का प्रचार

विषय : राज्य

- इसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, उच्च व अधीनस्थ न्यायालय के सम्बन्ध में प्रावधान हैं।
- यह भाग कर्तव्य पालन की दिशा निश्चित करने वाला है।
- यह समाज जीवन को उन्नत करने के लक्ष्य से प्रेरित है।

भाव - चित्र में शांत भगवान महावीर तथा आनंद-विभोर मयूर दर्शा रहा है कि हर परिवर्तन आनंददायी बने, सर्व स्वीकृत हो, सर्वमान्य बने।

भाग - 7

(अनुच्छेद 238)

मौर्यकाल की निर्भयता एवं सम्पन्नता

विषय : राज्य रचना

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित

❖ 1956 के पूर्व के A, B, C व D राज्यों का उल्लेख था।

भाव - भय और विकार से मुक्त समाज के स्वरूप को दर्शाता यह चित्र सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की आकांक्षा को प्रकट करता है।

भाग - 8

(अनुच्छेद 239 - 242)

सम्पन्नता के लिए कुबेर की छलांग

विषय : संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

- ❖ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान।
- ❖ प्रशासन के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे कुबेर पूरा करते हैं।

भाव - प्रशासन के लिए आर्थिक क्षेत्र में सूझ-बूझ के साथ कदम उठाए जाएंगे तो देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा।

भाग - 9

(अनुच्छेद 243 - 243ZG)

विक्रमादित्य का दरबार

विषय : पंचायत एवं नगरपालिकाएं

- ❖ पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का गठन, संरचना, अवधि, शक्ति, प्राधिकार, वित्तीय व्यवस्था, निर्वाचन तथा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन आदि बातों के लिए आवश्यक नीति-नियम इस भाग के मूल विषय हैं।
- ❖ विक्रमादित्य के राज में 32 विभागों में मिलने वाले न्याय का पंचायत स्तर तक विकेंद्रीकरण किया गया था।

भाव - विक्रमादित्य द्वारा स्थापित व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि सिंहासन पर बैठने वाला न्याय परायण ही होगा, पंचायत स्तर तक ऐसे ही व्यवस्था स्वाधीन भारत में भी होनी चाहिए।

भाग - 10

(अनुच्छेद 244 - 244A)

नालंदा विश्वविद्यालय

विषय : अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र

- ❖ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इस भाग का मूल विषय है।
- ❖ प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासन की मुहर अंकित है।
- ❖ अंत में विश्वविद्यालय के विशाल भवनों का चित्र अंकित कर उसमें होने वाली शिक्षा साधना एवं संस्कारों को स्पष्ट करने वाला परिदृश्य उपस्थित किया गया है।

भाव - भारत के दूरदराज के अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों तक शिक्षा की बयार पहुंचे, वह सबके लिए सुलभ हो, समाज का कोई भी तबका इस से वंचित ना रहे।

भाग - 11
(अनुच्छेद 245 - 263)

अश्वमेधयज्ञ

विषय : संघ और राज्यों के बीच संबंध

- ❖ केंद्र एवं राज्य के बीच विधाई, वित्तीय एवं प्रशासनिक संबंध इस भाग का मूल विषय है।
- ❖ राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण एवं राज्यों की स्वायत्तता का सुंदर समन्वय है।

भाव - स्वायत्तता एवं सार्वभौमिकता के अद्भुत मेल का ही नाम है अश्वमेध यज्ञ, अर्थात घोड़े को दिग्विजय की यात्रा पर ले जाता हुआ सम्राट एवं उसके आधिपत्य को स्वीकार करने की मानसिकता को दर्शाता हुआ शरणागत एक राजा।

भाग - 12

(अनुच्छेद 264 - 300A)

नटराज तथा स्वास्तिक

विषय : वित्त तथा संपत्ति

- ❖ इस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएँ, वित्त आयोग का गठन, आकस्मिक निधि आदि बातों का विश्लेषण किया गया है।
- ❖ संविधान के इस भाग में स्वास्तिक का चिन्ह है, जो शुभ होने का विश्वास दिलाता है।
- ❖ हर्षित मन आनंदमग्न होकर नृत्य करने लगता है। नटराज का चित्र उसी हर्ष को दर्शाता है।

भाव - वैदिक काल से चली आ रही परम्परा में स्वास्तिक अत्यंत पवित्र एवं मंगलकारी माना जाता रहा है। उसी प्रकार नटराज का चित्र आर्थिक सुचिता, सकारात्मकता एवं रचनात्मक भाव जगाता है।

भाग - 13
(अनुच्छेद 301 - 307)

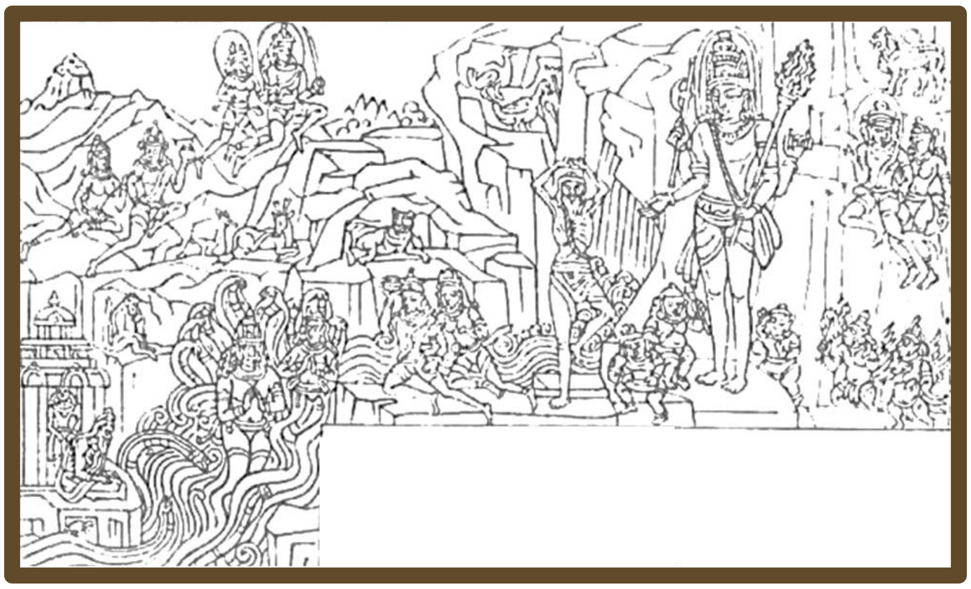

भगीरथ प्रयास से गंगावतरण

विषय : भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

- ❖ इस भाग में भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले व्यापार और वाणिज्य को करने सम्बन्धी प्रावधान हैं।
- ❖ देश में व्यापार-वाणिज्य की आदर्श स्थितियों को लाने के लिए अथक प्रयास आवश्यक हैं।
- ❖ राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

भाव - देश की व्यापार वाणिज्य की आदर्श स्थिति की कल्पना करते हुए, उसे धरातल पर लाने का यह एक कठिन कार्य है। प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने पर ही यह संभव हो पाएगा।

भाग - 14

(अनुच्छेद 308 - 323B)

अकबर का दरबार

विषय : संघ-राज्याधीन सेवाएं

- इस भाग में अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS), केंद्रीय सेवा, राज्यों के अधीन सेवा की नियुक्ति, पादावधि आदि का वर्णन है।
- संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों को उपरोक्त सेवाओं की नियुक्ति का दायित्व दिया गया है।

भाव - अकबर की नौकरशाही ने ही उसके राज्य को स्थायित्व दिया।

भाग - 15

(अनुच्छेद 324 - 329A)

छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह

विषय : निर्वाचन

- ❖ निर्वाचन लोकतांत्रिक मार्ग का सर्वाधिक महत्व का पड़ाव है।
- ❖ निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर परिणाम घोषित होने तक की पूरी प्रक्रिया इस खंड में उल्लेखित है।
- ❖ अपने जन प्रतिनिधि या जनता के नेता को किस कसौटी पर कसें, इसका उत्कृष्ट उदाहरण दो महापुरुष, छत्रपति शिवा जी महाराज तथा गुरु गोबिंद सिंह जी हैं।

भाव - लोक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का मापदण्ड देश व धर्म के लिए सर्वस्वार्पण की मानसिकता को ही माना जाना चाहिए, यही संदेश संविधान निर्माता देना चाहते थे।

भाग - 16

(अनुच्छेद 330 - 342A)

रानी लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुलतान

विषय : कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध

- ❖ लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन आदि विषय इस भाग में समाहित किये गये हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों की विधायिका में आंग्लभारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है।

भाव - इस भाग में रानी लक्ष्मी बाई तथा टीपू सूल्तान के चित्रों को लिया गया है, जिसका कारण दोनों का अपनी प्रजा के लिये अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष रहा है।

भाग - 17
(अनुच्छेद 343 - 351)

लाठी लेकर चलते गाँधी जी

विषय : राजभाषा

- ❖ इस भाग में भारतीय राज्य की भाषा को अपनाने का आग्रह है।
- ❖ हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राज भाषा का दर्जा दिया गया है।
- ❖ राज भाषा के उत्थान का दायित्व संघ सरकार को दिया गया।
- ❖ गाँधी जी का स्वभाषा को लेकर विशेष आग्रह था।

भाव - लाठी लेकर चलते गाँधी जी स्वभाषा की घर-घर अलख जगाने का संकेत दे रहे हैं।

भाग - 18
(अनुच्छेद 352 - 360)

गांधीजी की दांडी-यात्रा

विषय : आपात उपबंध

- ❖ देश पर वाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपात उपबंधो की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है।
- ❖ आपातकालीन संकटों के समय मूलभूत अधिकारों सहित संविधान के अन्य प्रावधान अस्थायी रूप से निलंबित किये जा सकते हैं।

भाव - गांधी जी का दांडी यात्रा का चित्र यह संदेश देता है कि आपातकाल में समाज का नेतृत्व के साथ एकमुखी हो कर चलना आवश्यक हो जाता है।

भाग - 19

(अनुच्छेद 361 - 367)

नेताजी सुभाष तथा आजाद हिन्द सेना

विषय : प्रकीर्ण

- राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण का प्रावधान।
- संघ द्वारा दिए गये निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव।
- कुछ विशेष शब्दों जैसे - 'कृषि-आय', अनुच्छेद, निगम कर, ऋण, प्रत्याभूति आदि शब्दों की परिभाषा दी गई है।

भाव - मुख्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रावधानों को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फैज की तरह स्वीकरोक्ति के साथ क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहना है।

भाग - 20

(अनुच्छेद 368)

खुला आकाश तथा हिमालय

विषय : संविधान का संसोधन

- ❖ वैसे तो संविधान को विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंगीकार किया गया है। परन्तु काल एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधन की संभावना सदैव बनी रहती है।
- ❖ अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग कर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।

भाव - इस भाग में दिया गया चित्र खुले आकाश के साथ हिमालय की पर्वतमालाओं का है। जिस प्रकार विशाल हिमालय पर्वत में भी सूक्ष्म परिवर्तन होता है वैसे ही परिस्थिति के अनुसार लोक कल्याण के लिए संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है।

भाग - 21
(अनुच्छेद 369 - 392)

मरुथल तथा ऊँट की सवारी

विषय : अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

- ❖ इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किये गये हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के संबंध में भी विशेष प्रावधान किये गये हैं।

भाव - भारत की प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति इस चित्र में प्रकट होती है, जिसमें मरू भूमि तथा ऊंट की सवारी को दर्शाया गया है। मरूस्थल का चित्र थल की सुरक्षा का संकेत देता है तथा ऊंटों की सवारी समस्त भारत के भूभाग पर हमारे अधिकारों को दर्शाता है।

भाग - 22
(अनुच्छेद 393 - 395)

समुद्र तथा नौकायन

विषय : संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

- इस भाग में संविधान का नाम, प्रारम्भ की तिथि, हिंदी अनुवाद के पाठ की स्वीकृति तथा पूर्ववर्ती अधिनियमों के निरसन का निर्देश है।
- संविधान के प्रावधान सागर सी गहराई लिए हुए हैं।

भाव - सागर जैसा गहरा, शांत एवं असीम संभावना भरे संविधान में कुशलता से ही नौका को लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है।

संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह

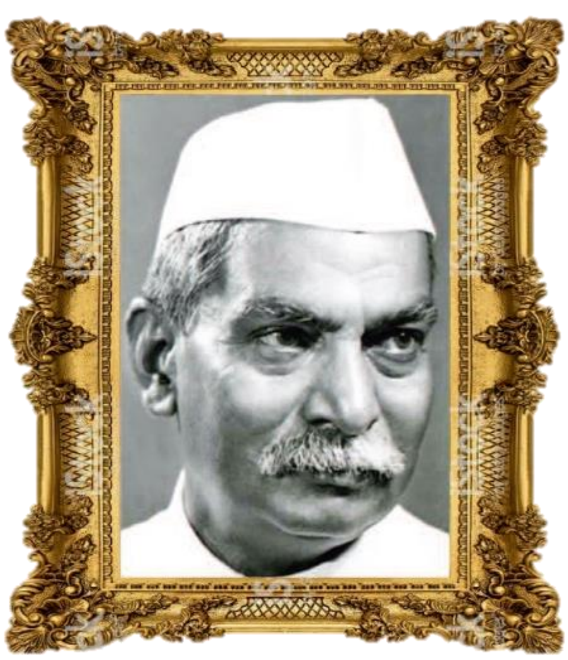

डॉ. राजेंद्र प्रसाद
अध्यक्ष, संविधान सभा

डॉ. भीम राव अम्बेडकर
अध्यक्ष, प्रारूप समिति

संविधान सभा की झलकियाँ

दिसम्बर 1946 में संविधान सभा की बैठक

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संविधान सभा की झलकियाँ

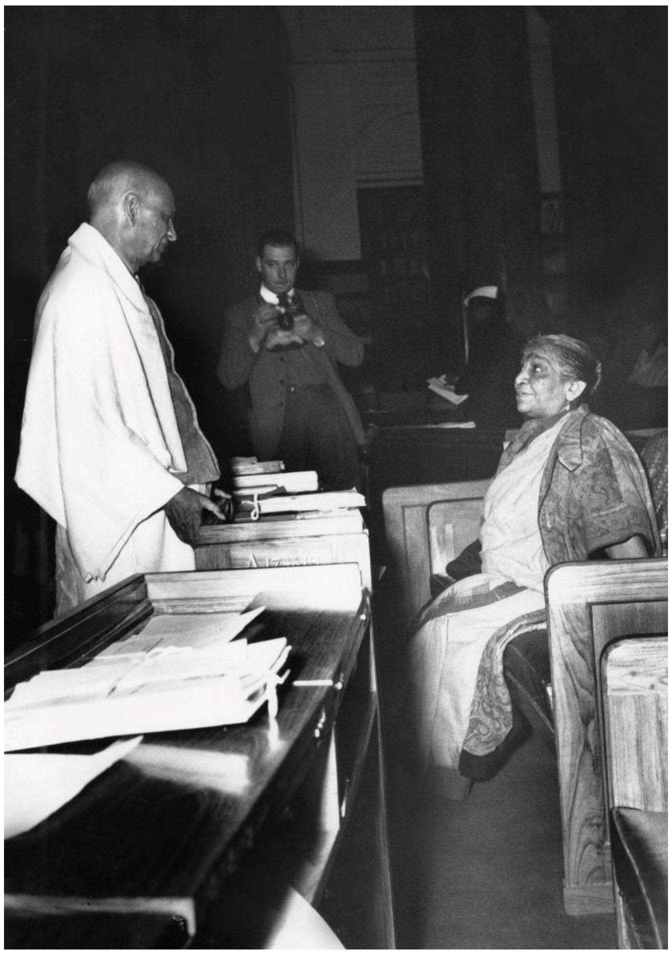

सरोजनी नायडू के साथ सरदार पटेल

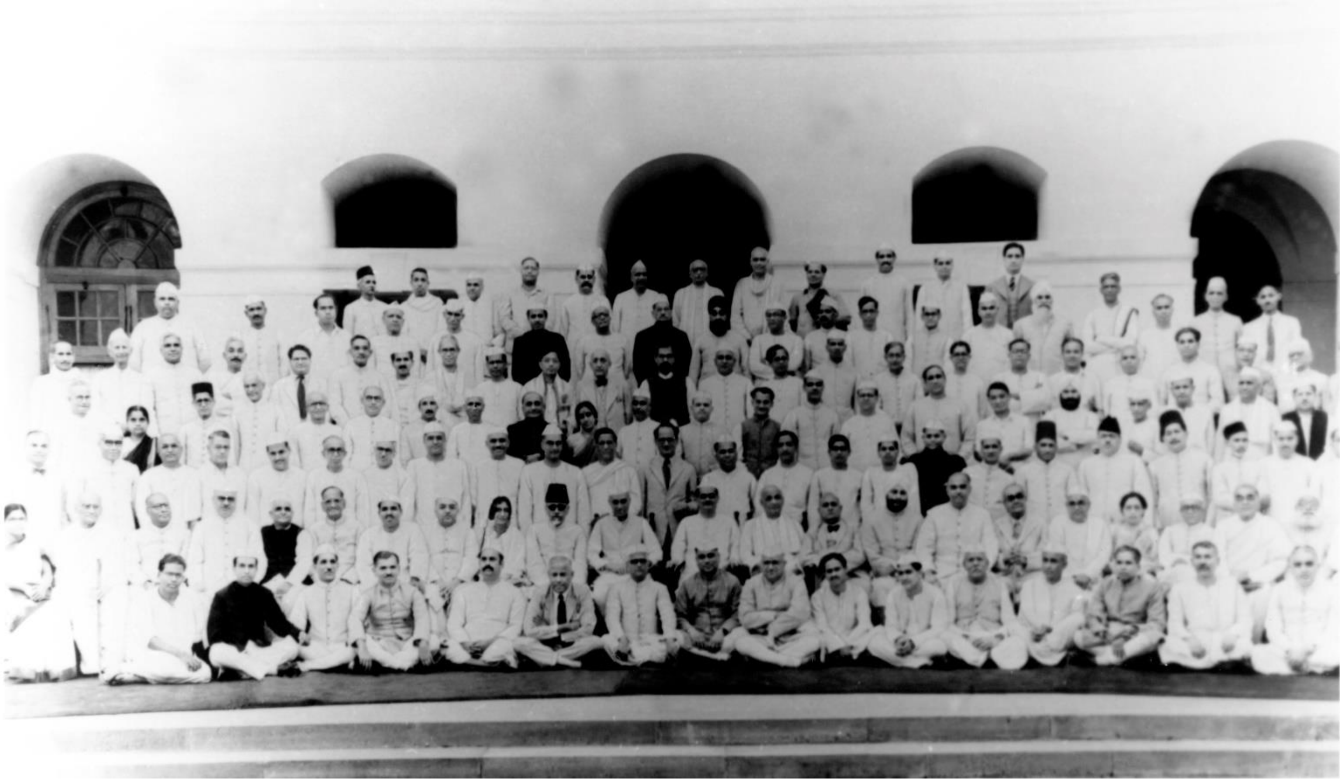

संविधान सभा के सदस्यों का सामूहिक चित्र

संविधान सभा सदस्यों के हस्ताक्षर

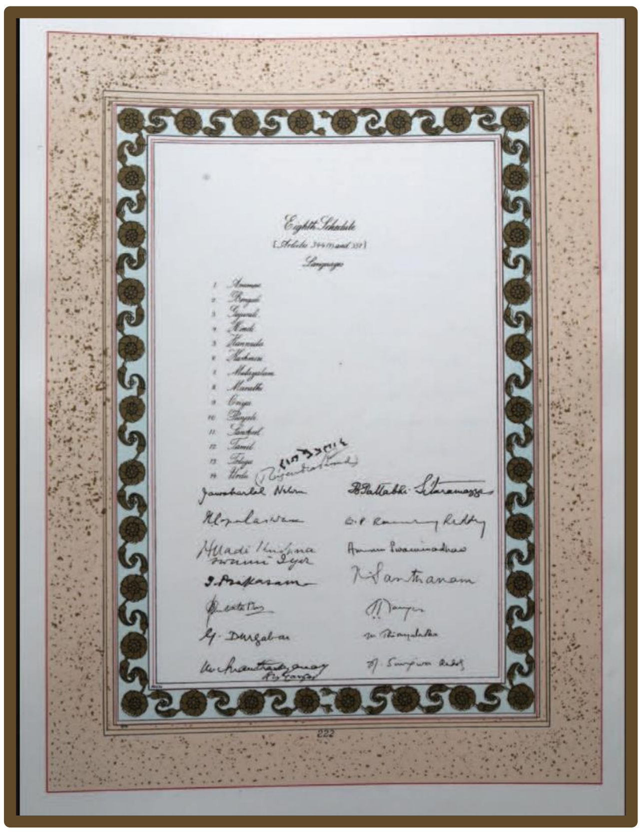

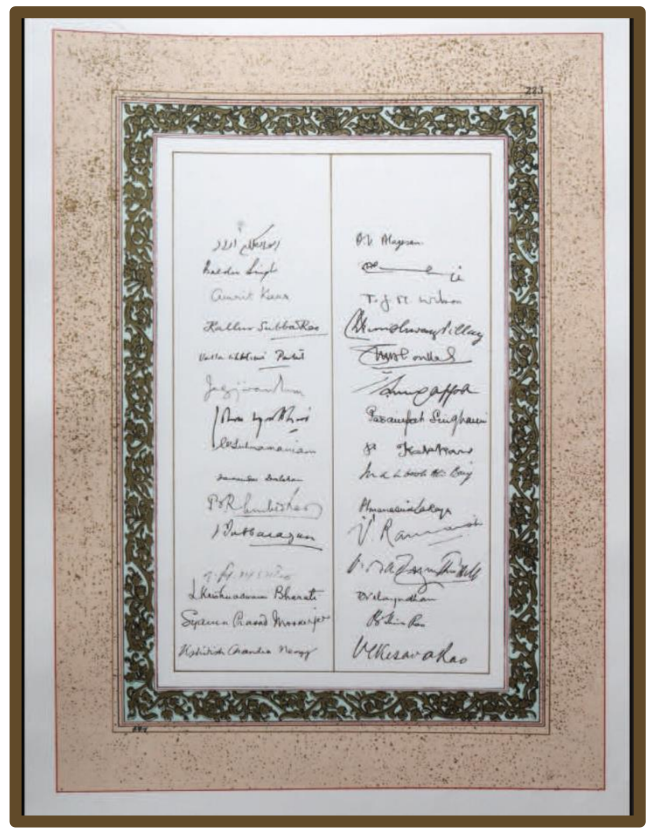

संविधान सभा सदस्यों के हस्ताक्षर